डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 81 / फा0सं0–240 / कार्या0ज्ञाप / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / 2021–22 दिनांकः 02 मार्च, 2022

/ / कार्यालय–आदेश / /

विश्वविद्यालय में प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकवृन्द / अधिकारीगण को कार्यालयी कार्य हेतु कुलपति कार्यालय अथवा कुलसचिव कार्यालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, तो तत्समय ही सम्बन्धित शिक्षकवृन्द / अधिकारीगण द्वारा अवकाश पर होने सम्बन्धी सूचना प्रेषित की जाती है, जो कि नियमानुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त कतिपय शिक्षकवृन्द / अधिकारीगण द्वारा अवकाश सम्बन्धी सूचना व्हाट्सअप के माध्यम से कुलपति को प्रेषित की जाती है, जो कि स्वस्थ परम्परा को परिलक्षित नहीं करता है।

(2) विश्वविद्यालय के आचार्य एवं अधिकारीगण (यथा–कुलसचिव, वित्त अधिकारी, कुलानुशासक, अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष आदि) जैसा कि विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधानित है, के अवकाश प्रार्थना–पत्र स्पष्ट समस्या / कारण उल्लिखित करते हुए सीधे मा0 कुलपति महोदय को सन्दर्भित किये जायेंगे। साथ ही आकस्मिक अवकाश की सूचना ससमय कार्यालय प्रारम्भ की अवधि में सम्बन्धित को सूचित करना सुनिश्चित करें।

(3) विश्वविद्यालय में कार्यरत् अन्य शिक्षकवृन्द अपने आकस्मिक अवकाश प्रार्थना–पत्र विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे एवं इसके अतिरिक्त अन्य अवकाश प्रार्थना–पत्र नियमानुसार विभागाध्यक्ष के माध्यम से अग्रसारित कराते हुए सक्षम स्तर पर प्रेषित करेंगे। अत्यन्त आकस्मिक परिस्थितियों में अपने आकस्मिक अवकाश की सूचना कुलपति कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय परीक्षा अवधि के दौरान शिक्षकवृन्द / कर्मचारीगण अवकाश हेतु परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से प्रार्थना–पत्र अग्रसारित कराते हुए सक्षम स्तर पर प्रेषित करेंगे।

(5) विश्वविद्यालय में कार्यरत् समूह–'ख' एवं समूह–'ग' के अधिकारीगण अपने अवकाश प्रार्थना–पत्रों को ससमय कुलसचिव कार्यालय को अनुमोदन / अग्रसारण हेतु प्रेषित करेंगे।

(6) इसके अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश, जिनमें मुख्यालय छोड़ना भी सम्मिलित है, अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आलोक में यदि कोई शिक्षकवृन्द / अधिकारीगण विश्वविद्यालय में अनुपस्थित पाया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के वेतन से कटौती की जाएगी।

(प्रो0 आर0 के0 पी0 सिंह)
कुलपति

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
5. समस्त शिक्षकवृन्द / कार्मिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव